Resource No. 3

Title : Government

Subject: Political Science **(**Social and Political Life)

Class/ Level: Upper Primary (class VI and VII and VIII)

Target Audience: Students and Teachers

Language : English

Content Developer : Shankar Sharan

Subject Coordinator:

CIET Coordinator: Indu Kumar

Tags/Key words: Government, Judiciary, Budget, Rajya Sabha, Supreme Court

काम में दखल दे रहे कोर्ट

न्यायपालिका को बजट बनाने, टैक्स वसूलने का काम भी ले लेना चाहिए : जेटली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यायपालिका पर सरकारी कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया है। जेटली ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए बुधवार को राज्यसभा में कहा कि इससे सरकार को परेशानी हो रही है। न्यायपालिका की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इसने कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। ऐसे में अब सरकार के पास बजट बनाना और टैक्स लेने का काम ही रह गया है। न्यायपालिका को यह काम भी ले लेना चाहिए।

वित्त विधेयक, 2016 पर चर्चा का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि राजनीतिक समस्याओं का समाधान न्यायपालिका को नहीं करना चाहिए। राजनीतिक समस्याओं का निराकरण राजनीतिक तरीके से ही होना चाहिए। वित्त मंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा ने ध्वनिमत से वित्त विधेयक 2016 को मंजूरी देकर लोकसभा को वापस भेज दिया।

अर्थव्यवस्था की स्थिति की चर्चा करते हुए जेटली ने कहा कि राजग सरकार के आर्थिक सुधारों के परिणाम नजर आने लगे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। विश्व में मंदी के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट नहीं आई। यह सरकार की सही रणनीति का ही परिणाम है। उन्होंने जीडीपी के आंकड़ों में हेराफेरी के संबंध में विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये आंकड़े निष्पक्ष हैं और इन्हें स्वतंत्र संस्था तैयार कर रही है। जेटली ने बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पर आम राय बनने की उम्मीद भी जताई। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी देश के विकास के बेहद जरूरी है। राजनीति की वजह से इसे अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है।

वित्त मंत्री ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह जीएसटी पर पुनर्विचार करे और विरोध छोड़कर इसका समर्थन करे। जेटली ने कहा कि जीएसटी की दरें संविधान संशोधन विधेयक में तय नहीं की जा सकतीं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जीएसटी को राज्यसभा में पारित कराने के लिए विपक्ष का सहयोग मिल जाएगा। जेटली ने कहा कि यह विधेयक जनता के हित में है और इससे देश एक सूत्र में जुड़ जाएगा।

- वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने राज्यसभा में दिया बयान
- कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में न्यायपालिका ने किया अतिक्रमण

राज्यसभा ने मंजूर किए पांच बिल

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा ने बुधवार को एक नई मिसाल कायम करते हुए रिकॉर्ड पांच विधेयकों को मंजूरी दे दी। हाल के दिनों में महत्वपूर्ण बिलों को अटकाने के लिए इसकी आलोचना की जा रही थी लेकिन बुधवार को भोजनावकाश के बाद इसने कुछ घंटों के भीतर पांच विधेयकों को पारित कर दिया। जिन विधेयकों को राज्यसभा ने मंजूरी दी, उनमें वित्त विधेयक 2016, विनियोग विधेयक, दिवाला और दिवालियापन संहिता, राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक और भारतीय न्यास संशोधन विधेयक शामिल हैं। इस बीच, लोकसभा का बुधवार को निर्धारित समय से दो दिन पहले अचानक सत्रावसान कर दिया गया। 25 अप्रैल से शुरू हुए इस सत्र को 13 मई तक चलना था। सत्र में 13 बैठकें हुईं। (संबंधित खबर पृष्ठ >> 10)

कॉल ड्रॉप पर हर्जाना नहीं

नई दिल्ली : कॉल ड्रॉप पर मोबाइल ऑपरेटरों से आप कोई भी हर्जाना नहीं ले सकेंगे। इस बारे में ट्राई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया। विस्तृत खबर >> 10

सूखे पर सरकारों के रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सूखे को लेकर गुजरात, हरियाणा और बिहार के रवैये पर कड़ा एतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि सूखे पर सरकारों का शुतुरमुर्गी रवैया दयनीय है। विस्तृत खबर >> 11

Description: The Indian political system has a federal system of democratic government. The three organs of the government are Legislature, Executive and Judiciary. Each of them are responsible for distinct functions. The Parliament, with its two houses Lok Sabha and Rajya Sabha, is part of Legislature. The Supreme Court is part of Judiciary. This news item in a Hindi newspaper mainly describes a statement of the Union Finance Minister during the 2016 Budget session in the Parliament. He observed that the Supreme Court frequently intervenes in the works of the Legislature and the Executive. This brings to focus on the structure of the Indian government. The three organs function independently within the provisions of the Constitution. This kind of observations indicates the friction and changing balance from time to time in the functioning of the different organs of the Union government. Differences, criticism and adjustment are part of a modern democratic government.